न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 22/2021

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, आबूरोड जिला सिरोही।।

बनाम

अप्रार्थी

श्री बाबू पुत्र श्री किरणा जाति गरासिया निवासी रेडवाकलां तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही)

निर्णय

दिनांक 27.07.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा रेडवाकलां, पटवार मण्डल क्यारिया, तह. आबूरोड के खसरा नं. 751/1052 रकबा 0.4552 बीघा किस्म बंजर भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश क्रमांक/2305–8 दिनांक 04.09.1988 द्वारा अप्रार्थी श्री बाबू पुत्र श्री किरणा जाति गरासिया को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 12.02.1983 द्वारा अप्रार्थी के नाम से दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया ।

अप्रार्थी की ओर से पूर्व में अधिवक्ता श्री पी.एल. दवे द्वारा दिनांक 22.12.2021 को अण्डरटेकिंग दी गई, परन्तु दिनांक 11.07.2022 को उनके अधिवक्ता श्री पी.एल.दवे ने प्रकरण में नो–इंस्ट्रक्शन व्यक्त किया। उसके उपरान्त प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। [illegible] उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:23:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित [illegible] 751/1052 रकबा 0.4552 बीघा किस्म बंजर भूमि का आवंटन अप्रार्थी श्री बाबू पुत्र श्री किरणा को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है । आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है । अप्रार्थी सद्भावी काश्तकार नहीं था।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

आवंटित भूमि पर उसका का कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं की है, एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे ।

प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि मौजा रेडवाकला, पटवार मण्डल क्यारिया, तह. आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नं. 751/1052 रकबा 0.4552 बीघा किस्म बंजर भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश कमांक/2305–8 दिनांक 04.09.1988 द्वारा अप्रार्थी श्री बाबू पुत्र श्री किरणा को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 12.02.1983 द्वारा अप्रार्थी के नाम से दर्ज कर स्वीकृत किया गया। यह है कि पटवारी हल्का क्यारिया से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 16.12.2020 के अनुसार उक्त आंवटित आराजी पर अप्रार्थी का आवंटन तिथि से आज तक कब्जा नहीं है एवं मौके पर भूमि खाली पडी है। यह है कि अप्रार्थी के नाम राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन शर्तो की पालना नही करने पर आवंटन निरस्त करने का नियमो में प्रावधान है। विचारणीय प्रकरण में लम्बे समय से अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त कर कब्जा नही किया है नियम 14 (3) के तहत उसे प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भाग एवं शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में काश्त की जानी चाहिए थी । उसके पश्चात आवेदन करने पर कालावधि तहसीलदार द्वारा 1 वर्ष के लिए बढाई जा सकती है। विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा कब्जा कर काश्त किया जाना नही पाया जाता है। यह तथ्य पटवारी हल्का द्वारा की गई मौका रिपोर्ट अनुसार स्पष्ट प्रतीत होता है कि मौके पर कब्जा नही है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को किसी तरह की कोई राहत दी जाना विधि संगत नही होगा ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रेडवाकला पटवार मण्डल क्यारिया, तह. आबूरोड के खसरा नं. 751/1052 रकबा 0.4552 बीघा किस्म बंजर भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश कमांक/2305–8 दिनांक 04.09.1988 द्वारा अप्रार्थी को आवंटन की गई है, उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:23:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner